

प्रेषक:

प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

सचिव
मत्स्य विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषित:

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।

महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग: देहरादून:

फरवरी
दिनांक: जनवरी ०१, २०१८

विषय : महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में मत्स्य विभाग की योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण/युगपतीकरण किये जाने विषयक।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपेक्षानुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विभिन्न रेखीय विभागों के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से अधिकाधिक स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाना है।

उक्त के दृष्टिगत मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक २९ नवम्बर २०१७ को सम्पन्न महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण की समीक्षा बैठक में महात्मा गांधी नरेगा क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक स्तर पर किये जाने तथा गुणवत्तापूर्ण केन्द्राभिसरण के उद्देश्य से रेखीय विभागों के साथ संयुक्त शासनादेश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जल संवर्धन, मत्स्य तालाब निर्माण, Establishment & Modernisation of Existing & New Hatcheries आदि कार्यों को मत्स्य विभाग की विभिन्न केन्द्रपोषित योजना, राज्य सेक्टर योजना, जिला योजना, राष्ट्रीय उद्यान मिशन एवं अन्य अनुमन्य योजनाओं के साथ महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण के माध्यम से किया जा सकता है। उपरोक्त के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा एवं मत्स्य विभाग के केन्द्राभिसरण हेतु निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

- मत्स्य विभाग द्वारा योजना का चयन महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत अनुमन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा तथा जनपद की महात्मा गांधी नरेगा की वित्तीय वर्ष २०१८-१९ की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करवाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव का विस्तृत आगणन सक्षम तकनीकी अधिकारी से स्वीकृति उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक उपलब्ध प्रस्तावों पर महात्मा गांधी नरेगा के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।
- विभागों द्वारा चयनित परियोजनाओं के विस्तृत आगणनों की प्राप्ति के पश्चात् सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धी आदेश पारित करेंगे।
- जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा द्वारा नामित विभाग, कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेंगे।

- कार्यस्थल पर कार्य, पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों द्वारा ही सम्पन्न कराया जायेगा जिस हेतु मत्स्य विभाग द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से मांग की जायेगी तदनुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा श्रमिकों की सूची मत्स्य विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- मत्स्य विभाग द्वारा श्रमिकों को 15 दिन के भीतर कार्य आवंटन न किये जाने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी, रोजगार के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों को किसी अन्य कार्य पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
- विभाग द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य एक स्वतंत्र कार्य के रूप में होगा जिसका पृथक वर्क कोड होगा तथा इसी के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा कार्यदायी संस्था के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल (eMR) जारी किये जाएंगे। मत्स्य विभाग निर्धारित समयान्तर्गत मस्टर रोल भर जाने पर अथवा कार्य की समाप्ति पर eMR को नरेगासॉफ्ट (MIS) में एन्ट्री किये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।
- महात्मा गांधी नरेगा द्वारा वहन की जाने वाली श्रमांश की धनराशि eFMS/PFMS/NeFMS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में तथा मत्स्य विभाग द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि सहायक निदेशक मत्स्य/मत्स्य विभाग द्वारा नामित सक्षम अधिकारी के माध्यम से सीधे कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
- मत्स्य विभाग द्वारा कार्य की प्रगति प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी जिसे कार्यक्रम अधिकारी नरेगासॉफ्ट (MIS) में अद्यतन करेंगे।
- मत्स्य विभाग द्वारा कार्य की जानकारी हेतु कार्यस्थल पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट के अनुसार निर्मित नागरिक सूचना पट्ट (CIB) शासनादेश संख्या 160/148/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2016-17 दिनांक 1 जून 2017 के अनुसार स्थापित किया जायेगा।
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग किसी भी स्तर पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। इस प्रावधान का उल्लंघन आपराधिक कृत्य होगा।
- कार्य करते समय दुर्घटना से घायल व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा एवं अस्पताल में भर्ती की स्थिति में मजदूरी महात्मा गांधी नरेगा अंश से उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत देय होगी।
- महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत श्रमांश का अनुपात न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा सामग्री अंश का अधिकतम अनुपात 40 प्रतिशत अनुमन्य है। मत्स्य विभाग के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से होने वाले कार्यों में श्रमांश का वहन महात्मा गांधी नरेगा से एवं सामग्री अंश का वहन यथासम्भव मत्स्य विभाग द्वारा किया जायेगा।
- उपरोक्त कार्यों पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों तथा मत्स्य विभाग द्वारा होने वाला व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशानुसार/प्रावधानों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- मत्स्य विभाग के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से निर्मित होने वाले परिसम्पत्तियों की प्रगति का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा तथा सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग/सक्षम अधिकारी का होगा। साथ ही इसकी मासिक प्रगति से मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शासन को अवगत कराया जायेगा।


● केन्द्राभिसरण के माध्यम से किये जाने वाले प्रत्येक कार्य की geotagging महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाय। इसका उत्तरदायित्व जिला विकास अधिकारी/सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग का होगा।


● योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का महात्मा गांधी नरेगा एवं विभागीय योजना के दिशा-निर्देशानुसार सामाजिक सम्प्रेक्षण (Social Audit) किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें ताकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में ससमय महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ कराये जा सकें।

भवदीय

भवदीया



(आर० मीनाक्षी/सुन्दरम)
सचिव
मत्स्य


(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास

संख्या: 959/8-2/3(सी)/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2009-10 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी एवं कुमाऊँ, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव/निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
5. समस्त सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।


(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव